मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 04–04–2012 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य–कलापों की समीक्षा संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : (सूची संलग्न) ।

1. दिनांक 07–03–2012 को हुई समीक्षा बैठक की कार्यवाही के सभी बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई की विस्तार से चर्चा की गयी।

2. निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नलिखित जानकारियाँ दी गयीः–

   2.1 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पावर उपकेन्द्र के लिए सहदेई बुजुर्ग (जिला–वैशाली) के जमीन के लिए धारा 4/6 जारी कर दिया गया तथा समाचार–पत्रों में भी विज्ञापित कर दिया गया।

   2.2 सम्हा अक्खा खुरा (जिला–बेगुसराय) का धारा 4/6 जारी हो चुका है तथा धारा 7/17 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 11.04.2012 तक जारी कर दिया जायगा।

   2.3 चौसा (जिला बक्सर) केस–II बिडिंग के निमित्त सभी निजी भूमि का धारा 7/17 दिनांक 22.04.2012 तक जारी कर दिया जायगा।

   2.4 कजरा (जिला–लखीसराय) केस–II बिडिंग के लिए सरकारी जमीन से संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखीसराय द्वारा दिनांक 30.04.2012 तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्राप्त कराने का लक्ष्य है। भूमि का हस्तान्तरण दिनांक 15.05.2012 तक कर दिया जायगा। इस परियोजना के रैयती जमीन का दखल–कब्जा (Physical Possession) दिनांक 20.04.2012 तक दे दिया जायगा।

3. निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिलाधिकारी, लखीसराय को सर्वे एवं सेटलमेंट के एक अमीन को इस कार्य के लिए विशेष तौर पर एक महीने इस्तेमाल के लिए निदेशित करेंगे।

4. एम.टी.पी.एस. के जमीन के भुगतान की प्रक्रिया त्वरित की जानी है तथा भूमि संबंधी दस्तावेजों को अद्यतन किया जाना है ताकि अधिग्रहण शीघ्रातिशीघ्र हो।

5. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा Right to Use Act के तहत सक्षम अधिकारी की घोषणा शीघ्र की जानी है।

35

6. बोचहा एवं साहेबगंज के जमीन का धारा 4/6 का प्रस्ताव दो दिनों के अन्दर निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार के कार्यालय में प्राप्त हो जायगा तथा दिनांक 11.04.2012 तक धारा 7/17 की अधिसूचना निर्गत हो जायगी।
7. औराई के लिए वैकल्पिक जमीन को जल्द ही चिन्हित किया जाना है तथा उसका अधिग्रहण प्राथमिकता पर की जानी है।
8. सोनवर्षा का धारा 7/17 स्वीकृत कर दिया गया था लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्थल को बदल कर नया जगह चिन्हित किया जाना है। इस पर जल्द कार्रवाई की जानी है।
9. बनमाइटहरी पावर सब–स्टेशन के जमीन के लिए धारा 7/17 दिनांक 10.04.2012 तक निर्गत कर दिया जायगा।
10. देसरी पावर सब–स्टेशन के जमीन के लिए धारा 7/17 दिनांक 30.04.2012 तक पूरा कर लिया जायगा।
11. दंडारी पावर सब–स्टेशन के लिए जमीन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राशि जमा कर दिया गया है। अधिग्रहण की प्रक्रिया त्वरित की जानी है।
12. निदेशक, राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग द्वारा सभी रैयती जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को दिनांक 20.04.2012 तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया।
13. पावर ग्रीड के कानन (रक्सौल) के लिए जमीन का पंचाट शीघ्र तैयार करने का निदेश दिया गया।
14. प्रधान सचिव (ऊर्जा), प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा सदस्य (प्रशासन) के स्तर पर हर alternate शुक्रवार को लम्बित मामलों में लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से भूमि अर्जन के लिए बैठक की जानी है।
15. 11 के0वी0 सरकारी उपभोक्ताओं के लिए 68 सेट (मीटर एवं मीटरींग यूनिट) उपलब्ध है। अप्रैल, 2012 में इन्हें लगवाने का प्रयास किया जाना है।
16. 686 एल0टी0सी0टी0 उपभोक्ताओं का प्राथमिकता पर जुलाई, 2012 तक मीटरीकरण किया जाना है।
17. तीन फेज मीटर की आपूर्त्ति मई, 2012 तक शुरू हो जायगा। उन्हें प्राथमिकता पर लगाने के लिए पर्याप्त एजेन्सी की व्यवस्था की जानी है।
18. Billing efficiency एवं Collection efficiency का हर महीने बोर्ड स्तर पर समीक्षा की जानी है। जिन कारणों से Billing efficiency एवं Collection

efficiency कम है, उसका पता किया जाना है और उसमें सुधार के लिए कारगर प्रयास किया जाना है।

19. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को professional जानकारी के साथ–साथ motivation के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है।

20. अन्य Discoms द्वारा Billing efficiency एवं Collection efficiency को बढ़ाने के लिए जो measures लिये गये हैं उन्हें भी पता कर implement किया जाना है। Billing efficiency एवं Collection efficiency कम रहने की स्थिति में अधिकारी स्तर पर जवाबदेही तय की जानी है तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भी हर स्तर पर मासिक समीक्षा की जानी है।

21. चौसा थर्मल पावर स्टेशन मेसर्स सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को सौपने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन जल्द प्राप्त किया जाना है।

22. उरमा पहाड़ीटोला कोल–ब्लॉक से झारखण्ड का 62.5 प्रतिशत शेयर का उपयोग पीरपैंती थर्मल पावर स्टेशन (केस–II बिडिंग) के लिए झारखंड सरकार से चर्चा की जानी है।

2/10/14

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य-कलापों की समीक्षात्मक बैठक ।

दिनांक : 04/04/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन कुमार	मुख्य सचिव	
2	श्री ए0 के0 सिन्हा	विकास आयुक्त	
3	श्री सी0 अशोक वर्द्धन	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4.4.12
4	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	
5	श्री अजय नायक	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	
6	श्री हुकुम सिंह मीणा	~~निदेशक, भू-अभिलेख~~ सचिव सह निदेशक भू अर्जन	
7	श्री मिहिर कुमार सिंह	सचिव (व्यय) वित्त विभाग	
8	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
9	डा0 राणा अवधेश	सदस्य (प्रशासन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
10	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
11	श्री ललन प्रसाद	सदस्य (उत्पादन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
12	श्री टुन टुन झा	सदस्य (संचरण), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
13	संजीवन सिन्हा	विशेष सचिव, वित्त विभाग	
14			
15			
16			
17			
18			
19			

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड बैठक–24/2009 (खंड–I) 1602 पटना, दिनांक 11/4/12

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/12
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड बैठक–24/2009 (खंड–I) 1602 पटना, दिनांक 11/4/12

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/12
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।